

NOTICE

9431022601
0612-2504301 (O)
0612-2541060 ®
A/C- 9334879616

From : **PUSHPA SINHA**
~~Rajeev Kumar Singh,~~
Advocate.
Chamber No. 10
Bihar Bar Council Bhawan,
Patna High Court, Patna.

Advocate for Petitioner(s) Appellant(s) Respondent(s) Opposite Party(s)

To,
The Advocate General, Bihar, Patna High Court.

- 1. Shri Advocate for
- 2. Shri Advocate for
- 3. Shri Advocate for

Sub :-

Cwr No. Of 2015.
Juman Kumar

Petitioner/Appellant(s)

Versus
The State of Bihar

Respondent(s) Opposite Party(s)

Please take notice that the aforesaid Writ / L.P.A./ Cr. Misc. C.A. Rejoinder/ Supply. Affidavit along with Annexures is going to be filed in this Hon'ble Court. One / Two Coy/ Copy(s) is/ are being served upon you for your kind information and reference.

You may kindly acknowledge the receipt.

Your,

P. Sinha
(~~Rajeev Kumar Singh~~)
Advocate.

A.O.R. No. ~~0244~~ 04164
Patna High Court Patna.

16/7/15

Received a Notice/ a copy
of
Smt. *M. Veda H. N. N. Kar*
Will appear on behalf of the State

B2-16-7-15-
Section Officer/Receiving in-charge
Advocate General Office
Patna High Court, Patna

G.A.10
16.7.15

2

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2015

Gunjan Kumari

Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others

Respondents

Subject :- *others (school service)*

INDEX

| <u>Sl.Nos.</u> | <u>Particulars</u> | <u>Page Nos</u> |
|----------------|--|-----------------|
| 1. | An application with Affidavit. | 1 — 7 |
| 2.ANNEXURE-1 | A copy of the order dated 20/6/2015. | 8 — 18 |
| 3.ANNEXURE-2 | A copy of the General Notice for counseling and Appeal filed by the writ petitioner. | 19 |
| 4.ANNEXURE-3 | A copy of the letter dated 30/12/2010. | 20 |
| 5.ANNEXURE-4 | A copy of the petition dated 2/2/2011. | 21 |
| 6.ANNEXURE-5 | A copy of the order dated 31/1/2012. | 22 — 28 |
| 7.ANNEXURE-6 | A copy of the order dated 9/5/2012. | 29 — 30 |
| 8.ANNEXURE-7 | A copy of the order dated 8/1/2015. | 31 |
| 9.ANNEXURE-8 | A copy of the petition dated 11/5/2015. | 36 — 37 |
| 10.ANNEXURE-9 | A copy of the petitioner dated 12/5/2015. | 38 — 41 |

VAKALATNAMA

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2015

In the matter of an application Under
Article-226 of the Constitution of India.

AND

In the matter of –

Gunjan Kumari, Daugher of Sri Shyam Kishore Yadav, Resident of Village-Sarho, P.O.
Puraini, Block-Kumar Khand, District-Madhepura. ----- Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Education Department,
Government of Bihar, Patna.
2. The Director, Primary Education, Govt. of Bihar, Patna.
3. The District Magistrate, Madhepura.
4. The District Education Officer, Madhepura.
5. The District Teachers Employment Appellate Authority, Madhepura.
6. The Mukhiya, Gram Panchayat Raj Kumarikhand, Madhepura.
7. The Panchayat Secretary, Gram Panchayat Raj, Kumarikhand, Madhepura.
8. Manoj Kumar, So9n of Sri Satto Yadav, Resident of Village-Rakhiya Tola, Ward
No.12, P.O. Jorgama, P.S. Murliganj, Distt-Madhepura. ----- Respondents

To

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and his other Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of the
petitioner above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That this is an application for issuance of an appropriate writ(s), order(s) or direction(s) for quashing of the Order dated 20/6/2015 passed in Appeal Case No.2 of 2011 by the District Teachers Employment Appellate Authority, Madhepura (hereinafter referred to as Tribunal) whereby and where under he has allowed the amendment petition filed by Respondent No.8.

And further during the pendency of the instant writ application, the further proceeding of the Learned Tribunal in Appeal Case No.2 of 2011 may remain stayed.

And/Or Pass such other order(s) as your Lordships may deem fit and proper.

A copy of the order dated 20/6/2015 is annexed as ANNEXURE-1 to this writ application.

2. That the Impugned action of the Respondent authority is arbitrary, malafide, erroneous, illegal, unconstitutional, uncalled for, unwarranted and a clear case of non-application of mind. It is in violation of Article-14, 16 & 21 of the Constitution of India.
3. That the petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That it is stated here that in the year 2008 an advertisement was published for appointment on the post of Panchayat Teacher in Gram Panchayat Raj Puraini (hereinafter referred to as Panchayat) in the district of Madhepura.
5. That it is relevant to mention here that In Puraini Gram Panchayat 6 posts were advertised pursuant to 2008 Advertisement for appointment on the post of Panchayat Teacher in the Panchayat, the details of which are given hereunder:-

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| General Teacher (Hindi) Unreserved | - | 1 Post. |
| Backward Class | - | 1 Post. |
| Urdu Teacher Unreserved | - | 1 Post. |

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| Urdu Teacher (Female) Unreserved | - | 1 Post. |
| Extremely Backward Class(Female) | - | 1 Post. |
| Scheduled Caste | - | 1 Post. |

6. That it is relevant to state here that notification was issued in the daily newspaper Hindustan dated 8/12/2010 whereby the date of counseling has been fixed for 29/12/2010 and 30/12/2010. Counseling in various educational/employment units were fixed simultaneously. Needless to say that candidates having better chance in a unit appear in the said unit and choose to not to appear before another employment unit.

A copy of General Notice for counseling and Appeal filed by the writ petitioner is annexed herewith and marked as ANNEXURE-2 to this writ application.

7. That the petitioner being a Female candidate confined herewith in her Panchayat and was selected.
8. That it is relevant to mention here that Respondent No.8 did not turned up for counseling on the either of the aforesaid two dates.
9. That it is relevant to state here that the petitioner was selected as Panchayat Teacher by the competent authority and was appointed vide letter No.8 dated 30/12/2010 after following all due process of law and accordingly the petitioner joined Girls Primary School, Puraini on 8/1/2011.

A copy of the letter dated 30/12/2010 is annexed as ANNEXURE-3 to this writ application.

10. That thereafter Respondent No.8 being aggrieved by the appointment of petitioner has preferred to file Appeal bearing Appeal No.2 of 2011 before Tribunal on 2/2/2011.

A copy of the petition dated 2/2/2011 is annexed as ANNEXURE-4 to this writ application.

11. That after filing appeal, the Respondent No.8 never choose to place his case before the Tribunal and as such the Tribunal failed to look into his case which was not accompanied by the relevant documents.
12. That it is relevant to mention here and reiterated here that after filing of Appeal No.2 of 2011 before the Tribunal, the Respondent No.8 never appeared before the Tribunal on a single date. Therefore her case was dismissed vide order dated 31/1/2012 by the Tribunal.

A copy of the order dated 31/1/2012 is annexed as ANEXURE-5 to this writ application.

13. That the Respondent No.8 having no case even then she preferred to file a writ application being C.W.J.C.No.9065 of 2012, for quashing of the order dated 31/1/2012 passed in Appeal Case No.7 of 2011 by the Learned Tribunal.
14. That aforesaid writ application bearing C.W.J.C. No.9065 of 2012 was disposed of on 9/5/2012 with observation indicated in the said order.

A copy of the order dated 9/5/2012 is annexed as ANNEXURE-6 to this petition.

15. That the petitioner being aggrieved by the judgment and the order passed in C.W.J.C. No.9065 of 2012 dated 9/5/2012 has preferred to file Letters Patent Appeal bearing L.P.A. No.1285 of 2014.
16. That the aforesaid Letters Patent Appeal bearing L.P.A. No.1285 of 2014 was disposed of on 8/1/2015 by this Hon'ble Court whereby the Miscellaneous Appeal No.2 of 2011 filed by the Respondent No.8 which was dismissed, was restored and the Learned Tribunal was directed to hear the matter afresh and pass the order on merits. This Hon'ble Court directed the petitioner and the Respondent No.8 to appear before the Learned Tribunal on 20/1/2015.

A copy of the order dated 8/1/2015 is annexed as ANNEXURE-7 to this writ application.

17. That thereafter on 20/1/2015 the petitioner and Respondent No.8 appeared before the Learned Tribunal and with effect from 22/1/2015 the proceeding of the Learned Tribunal in Appeal Case No.2 of 2011 started. And thereafter the arguments continued on several dates by both sides.

18. That at the time when the Learned Tribunal was at the stage of passing the Judgment, the Respondent No.8 just with the malafide intention to harass the petitioner has filed an Amendment Petition on 11/5/2015.

A copy of petition dated 11/5/2015 is annexed as ANNEXURE-8 to this writ application.

19. That the petitioner on 12/5/2015 filed a Protest Petition in Appeal Case No.2 of 2011 against the Amendment Petition dated 11/5/2015 filed by the Respondent No.8.

A copy of the petition dated 12/5/2015 is annexed as ANNEXURE-9 to this writ application.

20. That on 20/6/2015, by the impugned order as contained in Annexure-1, the Amendment Petition filed by Respondent No.8 on erroneous considerations and also without considering the points raised by the petitioner.

21. That thus the Impugned action of the Respondent authority is arbitrary, malafide, erroneous, illegal, unconstitutional, uncalled for, unwarranted and a clear case of non-application of mind. It is in violation of Article-14, 16 & 21 of the Constitution of India.

22. That the petitioner has got no other alternative or efficacious remedy than to move before this Hon'ble Court for sake of justice.

23. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier in this connection.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue notice(s) to the Respondents and after hearing them may be pleased to allow the prayer made in Para-1 of this application.

AND/OR

During the pendency of the instant writ application, the further proceeding of the Learned Tribunal in Appeal Case No.2 of 2011 may remain stayed.

AND/OR

Pass such other order/orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Gunjan Kumari, aged about 38 years, Daughter of Sri Shyam Kishore Yadav, Resident of Village-Sarho, P.O. Puraini, Block-Kumar Khand, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and stated as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this case and I have understood the same.
3. That the statements made in Paragraph nos. 237/11 to 22723 are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 46, 9, 10, 12 to 20 are based on information derived from the records and rests are by way of submission before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true/photo copies of their respective originals.

गुंजन कुमारी

22 1-15
मुंबई

युक्त का वापस लेना 4/3
अधिकारी जो स्व में लिखे जाते
निर्देशन के सम्बन्ध में
आपका उक्त अधिकारी को
इस बार में सुनाई के क्रम में
आवश्यक है। कोर्ट में
अधिकृत्य पंजीयन लिये
आम-पंजीयन ~~पुणे~~ पुणे
को उक्त सभी अधिकारी को इस
न्यायालय में जमा करा करे
पत्र लिखें। ~~उक्त~~ उक्त अधिकारी
को अग्रिम कार्यवाई हेतु दिनांक
23-1-15 को रोक जाय
है।




23-1-15

आवेदन रूप विपरीत अनुरोध
विद्वान सचिव के साथ
न्यायालय में रोक लिख है। न्यायालय
द्वारा उक्त पत्र को आवश्यक
पत्राचार के तौर से नोटिस कराने
हेतु पत्रों को फटा जमा/जमान
में आवेदन के विद्वान अधिकारी
ने 4 आवेदन न दिया करे फटा
कि पंजीयन लिये पुणे,
मुंबई- पुणे, रतन शंकर शिवा
पत्राचार के तहत को आवेदन के
साथ गुणवत्ता पत्राचार के तहत
में आवेदन होगा, विद्वान
के विद्वान अधिकारी ने उक्त
आवेदन पर no objection

प.व

30/1/15

89196 P
JUDICIAL BIHAR
19.5.2015
0000
0000010
374150
INDIA
COURT FEE
Authorization No. 2037



आधील दि- 2/11

24.3.15

उमय पर उपलब्ध है। आज का
अभिलेख दि 20.2.15 को मध्यम
में रूचि के साथ जारी
के माता है। आज सुविधा पंथान
सहित एवं 50 दि. पत्रा संज्ञान
प्राप्त नहीं है। उक्त जवाब हेतु
अभिलेख दि 27.3.15 को रखा गया
है।



Handwritten signature and initials.

27.3.15

उमय पर उपलब्ध है। आज सुविधा
पंथान सहित एवं 50 दि. पत्रा
कुमा एवं अपनी अपनी उपस्थिति
कार्यक्रम संपन्न एवं कार्य
देकर 15-20 दि. का समय
जवाब देने हेतु मांगा है कि समय
दिनांक 17-4-15 को
को उमय उमय जवाब देकर
दाखल करें। वगैरे सुचना हेतु
17.4.15 को रखा गया है।

Handwritten signature and initials.

17.4.15

उमय पर भी हाजिरी दी गई है।
है। उमय पर भी लिखित सचिव को
उपलब्ध है। सुविधा लिखित उमय
एवं पंथान सहित एवं 50 दि. पत्रा
उमय उमय प्रिवेन प्रोविडेंसिया
है कि उमय के सुख सुविधा
जलाशुद्धी एवं पंथान सुख
पंथान सहित एवं 50 दि. पत्रा
सोनाम सुविधा प्रिवेन सुख

7300 B
BIHAR
374150
INDIA
Authorization No. 2037

अपील नं० २/११

20.6.15
लखनऊ



लखनऊ से अदालत-२७८३ का
 २५०२ संकेत निम्न है। इसमें
 २२ २७८३ के जोड़न की प्रार्थना
 की गई है। इसका विरोध
 जिला न्यायालय दि० २-५-१५ के
 ऑर्डर द्वारा आवेदन द्वारा
 करते हुए भरा गया है कि
 अज्ञात संशोधन आवेदन इतिहास
 पत्र के समय दिया गया है कि
 अपील में संशोधन का प्रमाण
 नहीं है साथ ही इस न्यायालय
 के नियमों के नियम ५५ में भी
 इसका उल्लेख नहीं है तथा
 इस संशोधन के स्वीकार होने
 पर अपील का स्वरूप बदल
 जाएगा। इस के उद्देश्य से
 ११-५-१५ को रजिस्ट्रार को
 प्रार्थना की गई है। वह न केवल
 अपील नती के विरुद्ध इतिहास
 न AIR 1998 काइस-१९ में
 धर्म नती का काम दिया जिसमें
 अपील में संशोधन हुआ है।
 प्रतीति साथ विपरीत के विरुद्ध
 अज्ञात न विरुद्ध अज्ञात विद्यालय
 शिक्षक एवं कर्मचारियों का
 नियम नियमावली-२०१३ का
 काम देना है। इसमें
 संशोधन का जिक्र नहीं है साथ
 ही अज्ञात सर्वोच्च न्यायालय
 डाक टापर केस जो २०१० (१)
 Civil २.५. ३८५ में दया है
 का काम देना है। इसमें
 अपील में निर्देशों के अभाव में
 संशोधन को स्वीकार नहीं
 इस बात में नहीं है।

5087 852277 5089 89246

08000
 0000002 ≈ 17.6.2015
 BIHAR

374150

STAMP DUTY

00000
 0000002 ≈ 17.6.2015
 BIHAR

374150

INDIA **Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Imp**

Authorization No. 2037

GOVT. OF BIHAR
 REGISTRATION, EVIDENCE & PROHIBITION DEPT.
 MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

GOVT. OF BIHAR
 REGISTRATION, EVIDENCE & PROHIBITION DEPT.
 MADHEPURA SCORE, MADHEPURA

COURT FEE

Authorization No. 2037

Annex-2

विहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग (द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन) सूचना

सरकार के द्वारा द्वितीय शिक्षक नियोजन के लिए अलग-अलग नियोजन इकाई हेतु दिनांक-09.08.10 से विज्ञापन की तिथि निर्धारित की गयी थी। अधिकांश नियोजन इकाईयों के द्वारा निर्दिष्ट तिथि को नियोजन कार्य पूरा करने के कारण नियोजन की कार्यवाही को अग्रिम करने पर ही तिथि में नियोजन करने की कार्यवाही के विरुद्ध कार्यवाही करने का विवेक विद्यमान था।

- नगर शिक्षक - दिनांक-22.12.10
- नगर निगम/नगर परिषद - दिनांक-24.12.10 एवं 27.12.10
- नगर पंचायत - दिनांक 28.12.10
- ग्राम्य शिक्षक - दिनांक-29.12.10 एवं 30.12.10

(पौलकान्ज जिला के लिए अलग से निर्देश निर्गत किया जा रहा है।)

अब शिक्षक पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी/पंचायत समिति के द्वारा पंचायतों की संख्या सूची की संख्या को ध्यान में रखकर तिथि को निर्धारित किया जाएगा जिसकी सूचना पूर्व में कार्यवाही के लिए ही प्रत्येक शिक्षक पदाधिकारी को व्यक्तिगत जवाबदेही होगी जो कि 15 दिनों के अंदर ही सूचना निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को दे चुका होगा। जिला कार्यपालक के सूचना यह पर ही जारी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को ही कार्यवाही की कार्यवाही कर नियोजन पर निर्धारित तिथि को समाप्त किया गया नियोजन पूरा हो नहीं होगा। साथ ही उक्त निर्धारित तिथि को नियोजन नहीं किया जाएगा एवं द्वितीय नियोजन की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। केवल विरहित क्षेत्रों के लिए कार्यवाही के अंदर ही एवं विरहित क्षेत्रों के अंदर ही कार्यवाही में कार्य निर्धारित किया जा सकेगा।

यदि के मामले में नियोजन पूरा प्रत्येक शिक्षक पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी तथा पंचायत शिक्षकों के पंचायत के पंचायत समिति के द्वारा ही निर्गत होगा। निर्धारित पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।

यदि तिथि को ही नियोजन पूरा नहीं हो पाया तो

नियोजन के दौरान कार्यवाही से रायच पर होने तथा नियोजन की अन्य बातें पूर्व से निर्गत विभागीय दिनांक-12.07.10 को अनुसरण होगी।

(अमनी कुमार सिंह) प्रधान सचिव

(सं. 10/11)

563/कुमारखेड, दिनांक 11.12.10

विधि - सभी पंचायत नियोजन इकाई कुमारखेड की

कार्यवाही एवं अनुपालन में प्रति 11/11

10/12/10

मुख्य शिक्षा पदाधिकारी कुमारखेड

सेवा में

AM-3



प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी महाराष्ट्र
कुमारखण्ड (मधुपुरा)

विषय :- काकडिलीग में धाँधली कर चयनित सूची
जमाने के संबंध में



महाराष्ट्र

सविनय निवेदन है कि ग्राम पंचायत तुरही में
पंचायत शिक्षक नियोजन 2008 हेतु प्रथम काकडिलीग में
अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर मुखिया के भोजन के काकडिलीग
कराया था जो कर्णी था। पुनः 29 त्ति 30.12.2010 को पुन
पंचायत में काकडिलीग कराया गया उस में मुखिया के भोजन
ने कर्णी अनुभव प्रमाण पत्र इथ लिया और पैनल डाउन
करके काकडिलीग का उसको चयनित का दिया गया।
जिसका नाम मो. फुरकान आलम पिता नुर मेहमूद है।
पैनल डाउन करके काकडिलीग कराने की सूचना बिधी
अभ्यर्थी को नहीं मिला जबकि कर्णी अनुभव प्रमाण पत्र
इथने पर उस से ज्यादा पैरा मेधा भुक्त है। फिर भी
हमलोग 29 त्ति 30.12.2010 को काकडिलीग हेतु पंचायत
सचिव से सम्पर्क किया तो 98 कोला हम लोगो का काकडिलीग
नहीं लिया जायेगा।


अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि

उपरोक्त काका का चयन देते हुए चयनित सूची
के रद्द करत हुए उधरा चयनित पैनल सूची रूपा
जाने का निर्देश पंचायत सचिव को दिया जाय।

दि. 30/12/10

मो. एम. आ. अली
30/12/10

मो. एम. आ. अली
30.12.10



श्रीमान् सचिव महोदय
जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

कुमारखंड पब्लिक अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुरेनी में दिनांक 30.12.2010 को आयोजित काउन्सिलिंग से वंचित करने के संबंध में।

निवेदन पूर्वक सूचित कर आग्रह करना है कि मैं मनोज कुमार पिता ~~...~~ यादव ग्राम रहिका टोला, पोण-जोरमाता, थाना व अंपल- मुरलीगंज मधेपुरा ने कुमारखंड पब्लिक अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुरेनी में अप्रशिक्षित अभ्यर्थी ~~...~~ में द्वितीय चरण पंचायत शिक्षक नियोजन वर्ष 2009 ई0 में नियोजित होने हेतु शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन किया था। मेरा आवेदन क्रमांक 1701 दिनांक 14.11.2009 ई0 है। अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर मेरा मेधा अंक- 83.337 है। साथ ही साथ मैं पिछड़ी जाति के यादव-सनेकर ~~...~~ अंतर्गत आता हूँ। आवेदन के साथ मैं मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इन्टर का अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (लोक शिक्षक) सभी ठायाप्रति में स्व-हस्ता-लिखित आवेदन के साथ संलग्न कर आवेदन दिया था।

मेधा सूची में अपने कोटि वर्ग में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद मुझे दिनांक 30.12.10 को आयोजित काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया गया। पंचायत अध्यक्ष श्री शशि शेखर सिंह के द्वारा यह कहकर तोटा दिया गया कि पुरेनी पंचायत में नियोजन जिला पदाधिकारी मधेपुरा के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया है। अतः आप चले जाइये काउन्सिलिंग नहीं होगी। इसी प्रकार वर्ष 2009 ई0 में भी दिनांक 28.02.2009 को आयोजित काउन्सिलिंग से भी मुझे वंचित किया गया था। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा में वर्ष 2009 में ही कर चुका हूँ जो मामला अब तक लंबित चलता आता रहा है। पुनः दुबारा फिर मुझे जानबूझ कर रुपये के लालच में आकर एक सोयी सम्झी सुनियोजित पूर्व ताजि के तहत दिनांक 30.12.10 को आयोजित काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया गया मुझे वंचित कर दिया गया।

विशेषतः सूची में पता चलता कि पंचायत सचिव श्री शशिशेखर सिंह द्वारा दिनांक 30.12.2010 को हों गोपनीय तरीके से 2 लाख रुपये लेकर अपने पक्षे अभ्यर्थी बिलका मेधा अंक 727 है, जो मेरे अंक से काफी कम है, का काउन्सिलिंग कर चुके हैं और मुझे 83.337 रहने के बावजूद भी एकताजिशा के तहत वंचित किया गया है। सभी कागजातों की ठायाप्रति में प्रमाण स्वरूप इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से कृपया प्रार्थना है कि उपरोक्त बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए दोषी पं0 सचिव श्री शशि शेखर सिंह के उपर उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए मेरा काउन्सिलिंग करवाने की कृपा प्रदान की जाय। इसके तिर मैं श्रीमान् का कदा आभारी रहूंगा।

विश्वात्मजान
मनोज कुमार दि- 02.02.2011

पिता श्री ततो यादव
ग्राम-रहिका टोला, पोण-जोरमाता
अंपल- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा.
आवेदन प्राप्ति क्रमांक 1701
आवेदन करने की तिथि 14.11.09

दिनांक 02/2011



Am-5



न्यायालय
जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा

अपील वाद संख्या 07/2011

शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली — वादी

बनाम

राहुल कुमार एवं मो० फुरकान आलम एवं अन्य — प्रतिवादीगण
एवं

अपील संख्या 50/2011

अनील कुमार अनल — वादी

बनाम

ग्राम पंचायत पुरैनी एवं अन्य — प्रतिवादी
एवं मिस अपील 02/2011

मनोज कुमार — वादी

बनाम

ग्राम पंचायत पुरैनी एवं अन्य — प्रतिवादी
एवं

हमजा अली

बनाम

ग्राम पंचायत — पुरैनी — प्रतिवादी


आदेश

दिनांक
31.01.12

1. अपील संख्या 07/2011 के वादी शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली एवं अपील 50/2011 के वादी अनील कुमार अनल एवं विविध नाम संख्या 02/2011 के वादी मनोज कुमार एवं हमजा अली के द्वारा दाखिल किए गए आवेदन का आदेश एक साथ पारित किया जा रहा है क्योंकि सभी वाद ग्राम पंचायत पुरैनी प्रखंड कुमारखंड जिला मधेपुरा में द्वितीय शिक्षक नियोजन से संबंधित है।
2. उपरोक्त सभी अपीलों में से अपील संख्या 07/2011 के वादीगण सुनवाई के समय उपस्थित हुए एवं अपीलों को संचालित किया है। अन्य अपीलों के वादीगण अपने-अपने अपीलों को संचालित करने उपस्थित नहीं हुए। यहाँ तक वे

Wey /
31.1.12





लोग अपने दावों के समर्थन में किसी तरह का साक्ष्य एवं अपना प्रमाण पत्र जमा करने भी उपस्थित नहीं हुए। अतः सबसे पहले अपील संख्या 07/2011 का आदेश पारित किया जा रहा है।

3. अपील संख्या 07/2011 के वादीगण शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली का आरोप है कि वे लोग द्वितीय शिक्षक नियोजन में पंचायत शिक्षक में नियोजन हेतु आवेदन दिया था। शंभू कुमार यादव का आवेदन क्रमांक 110 है और इनका मेधा अंक 76.22 है और इनका नाम मेधा सूची के क्रमांक 6 पर नाम है लेकिन नियोजन इकाई ने इन्हें कौनसिलिंग का स्थान की सूचना जानबूझकर इसलिए नहीं दिया कि इनसे कम मेधा अंक प्राप्त राहुल रंजन मेधा अंक 76% का नियोजन कर सके। वादी शंभू कुमार का आरोप है कि 29.12.2010 को मुखिया के घर पर तथा पंचायत भवन में बार-बार गए लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हुई तो अन्त में दिनांक 30.12.2010 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपत्ति दिया लेकिन वे किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया तो एक महीना के अन्दर अपील दायर किया है। वादी हैदर अली का आरोप है कि जब वे कौनसिलिंग के लिए दिनांक 29.12 एवं 30.12.2010 को पंचायत सचिव से सम्पर्क किया तो मुखिया मो० जलाल उद्दीन डॉटते हुए मुझे भगा दिया। हमसे कम मेधा अंक प्राप्त अपने भौजा फुरकान आलम मेधा अंक 76% का चयन कर लिया जबकि वादी को 83% मेधा अंक है। जिसके खिलाफ वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपत्ति दिया लेकिन वे किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया तो यह अपील दायर किया है। वादी शंभू कुमार का दूसरा आरोप है कि सामान्य कोटी से नियोजित राहुल रंजन भारत एक ही सत्र और एक ही वर्ष में दो जगह से अन्तर स्नातक किया है जिसके प्रमाण में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राहुल रंजन भारती का



Handwritten signature and date:
31-1-12



मधुपुरा कॉलेज, मधुपुरा द्वारा निर्गत बिहार विद्यालय परिषद (उच्चतर माध्यमिक) ^{2005-7 का अध्यापक} दाखिल किया है जिसके अनुसार एक ही सत्र में भारती ने अन्तर स्नातक बिहार विद्यालय परिषद एवं केन्द्रीय विद्यालय परिषद से अन्तर स्नातक उत्तीर्ण किए हैं।



4. पंचायत सचिव एवं नियोजित शिक्षकों ^{का} मौलिक रूप से जबाब एक ही तरह का है। इन प्रतिवादियों का जबाब है कि पुरैनी पंचायत में कुल 6 पद रिक्त था जिसका कोटिवार विवरण इस प्रकार है। सामान्य शिक्षक हिन्दी अनारक्षित - एक, पिछड़ा वर्ग - एक एवं उर्दू अनारक्षित - एक, उर्दू अनारक्षित महिला - एक, अति पिछड़ा वर्ग उर्दू महिला - एक, अनुसूचित महिला - एक पद आवंटित था। इन लोगों का यह भी कथन है कि दिनांक 29.12.2010 को कौनसिलिंग लिया गया था और उपस्थित अम्थर्यियों में से उच्चतर मेघा अंक प्राप्त अम्थर्यियों का इस प्रकार नियोजन किया गया है। उर्दू कोटि अनारक्षित सीट पर फुरकान आलम, अति पिछड़ा वर्ग महिला ^{उर्दू} सीट पर सगुप्ता रब्बानी एवं अनारक्षित हिन्दी सीट पर राहुल रंजन भारती एवं पिछड़ा वर्ग सीट पर गुंजन कुमारी का नियोजन किया गया है। अनुसूचित जाति महिला अम्थर्यी नहीं रहने के कारण यह सीट खाली है।


Wag
31-1-12

5. पक्षकारों के वाद, प्रतिवाद एवं प्रतिउत्तर के अवलोकन से इस अपील के निर्णय हेतु निम्नांकित न्याय बिन्दु गठित किया जाता है -

- (i) क्या कौनसिलिंग के लिए बिहार शिक्षक के शिक्षक नियोजन के नियमावली 2008 में दर्शाए हुए निर्देश के आलोक में सम्पन्न किया गया था।
- (ii) क्या कौनसिलिंग में वादी शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली को जानबूझ कर सम्मिलित नहीं कराया गया था ताकि

मनमाने ढंग से इनके द्वारा दावा किए गए सीट पर नियोजन किया जा सके।

- (iii) क्या एक ही सत्र और एक ही वर्ष में राहुल रंजन भारती द्वारा अन्तर स्नातक किया जाना नियमाकुल है ?
- (iv) क्या वादी शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली का नियोजन का दावा बनता है ?




6.

सबसे पहले मैं न्याय बिन्दु नम्बर एक एवं दो पर अपना विवेचना करना आवश्यक समझता हूँ। इस संदर्भ में दोनों वादीगण शंभू कुमार एवं हैदर अली का कथन है कि वे लोग कौनसिलिंग के लिए पंचायत भवन एवं मुखिया के यहाँ गए थे लेकिन वहाँ नियोजन के लिए कौनसिलिंग नहीं हो रहा था। शंभू कुमार (वादी) का कथन है कि वहाँ किसी को नहीं पाकर वे दूसरे दिन अपना आपत्ति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया जिसका प्राप्ति वाला आवेदन दाखिल किया गया है लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने किसी तरह की सुनावई नहीं किया तो वे प्राधिकार के यहाँ ससमय अपील दायर किया है। प्रतिवादी पंचायत सचिव का कथन है कि कौनसिलिंग की कार्यवाही कन्या प्रा० वि० पुरैनी में दिनांक 29.12.2010 को किया गया था। कार्यवाही पुस्तिका के अवलोकन से पता चलता है कि बैठक संख्या 04 दिनांक 12.02.2009 को नियोजन समिति ने प्रस्ताव पास किया कि कौनसिलिंग की तिथि 28.02.2009 निर्धारित किया गया था और अभ्यर्थी को सूचित करने का आदेश पारित किया गया था लेकिन अभ्यर्थी को सूचित किस तरह किया गया था इसका किसी तरह का सबूत दाखिल नहीं किया गया है। बैठक संख्या 07 दिनांक 18.12.2010 को निर्णय लिया गया कि कौनसिलिंग की तिथि 29.12.10 को निर्धारित किया गया लेकिन प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं है कि कौनसिलिंग किस स्थान पर

Wag
31-1-12





लिया जायेगा। किसी भी कौनसिलिंग की सूचना एवं कौनसिलिंग की स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को देने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मानव संसाधन विकास विभाग शिक्षक नियोजन वर्ष 2008 के अधिसूचना संख्या 07 नि 03-02/06 अंश क 3151 दिनांक 25.08.2008 के नियम 10 के अनुसार अभ्यर्थियों को कौनसिलिंग की तिथि एवं स्थान की सूचना पत्र द्वारा भेजा जाना अति आवश्यक निर्देश था जिस पालन नहीं किया गया है। इस तरह दोनों वादी शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली को नियोजन इकाई ने जानबूझकर कौनसिलिंग में भाग लेने से रोका। अधिक मेधा अंक प्राप्त वादियों को सूचना नहीं दिया जाना दर्शाता है कि नियोजन की नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा कौनसिलिंग रजिस्टर दिनांक 29.12.10 सिर्फ चार सदस्य मुखिया सहित का दस्तखत है। पर्यवेक्षक का दस्तखत नहीं है। नियोजित फुरकान आलम का आवेदन संख्या 35 है और इनके अनुभव के कॉलम में विद्यालय चलो का प्रमाण पत्र दिखलाया गया है। जो आवेदन पंजी के पेज 5 पर है। इस तरह इस आधार पर इनको 20 वेंटेज दिया गया था और ज्यादा मेधा अंक बढ़ाकर दिखलाया गया। जबकि फुरकान आलम को किसी तरह का अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं था। वे इसे न्यायालय में भी प्रस्तुत करने से असमर्थ रहे। वादी हैदर अली का नाम आवेदन पंजी क्रमांक 50 पेज 6 पर नाम है। ^{वादी हैदर अली को} ~~इसको अनुभव का प्रमाण था।~~ ^{इसके अलावा} ~~इसके अलावा~~ ^{क 3% मेधा अंक} ~~लेकिन अनुभव के कॉलम में इसे नहीं दिखलाया गया है।~~

उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्य दिखलाता है कि इनदोनों वादियों को जानबूझकर नियोजन से वंचित रखा गया है। हैदर अली भी दोनों बार आपत्ति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ससमय दिया जिसका प्राप्ति सहित आवेदन की प्रति दाखिल किया गया है। इस तरह उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है।

W.D. 31-1-12



कि वादी शंभू कुमार एवं हैदर अली का आरोप सही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि न्याय बिन्दु नम्बर एक एवं दो वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है कि दोनों वादियों के अधिक मेघा अंक को नजर अंदाज कर इन लोगों को कौनसिलिंग से रोका गया और नियोजन से वंचित रखा गया है।




7.

अब न्याय बिन्दु नम्बर तीन पर विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। वादी शंभू कुमार का आरोप है कि सत्र 2005-2007 में राहुल रंजन भारती ने मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा के माध्यम से दिनांक 31.05.2007 को हुई परीक्षा में बिहार इन्टरमीडिएट कौन्सिल से विज्ञान में अन्तर स्नातक किया है और इनको कुल अंक 408/900 है लेकिन अपना नियोजन ये केन्द्रीय बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन से सत्र 2005-2007 में उत्तीर्ण किया है जो गैर कानूनी है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में दलील दिया। लेकिन यह सही है कि राहुल रंजन ने दो जगह से एक ही सत्र में एक ही क्लास की परीक्षा दिया है जो नियमानुकूल नहीं हो सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वादी शंभू कुमार का मेघा अंक राहुल रंजन से अधिक है। राहुल रंजन का बिहार विद्यालय परिषद का अन्तर स्नातक के अनुसार उसे बहुत मेघा अंक है। केन्द्रीय विद्यालय बोर्ड के अंक पत्र के आधार पर भी उसे वादी से कम मेघा अंक है। वादी हैदर अली का भी मेघा अंक फुरकान आलम से अधिक है।

07/05/12
31-142

8.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपील संख्या 07 के वादी शंभू कुमार यादव एवं हैदर अली का नियोजन का दावा बनता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनारक्षित हिन्दी सीट पर नियोजित राहुल रंजन का नियोजन रद्द कर उनके स्थान पर नियोजन इकाई शंभू कुमार का नियोजन करें एवं फुरकान आलम के सीट हैदर अली का



नियोजन करें। अगर प्रमाण-पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है तो शपथ-पत्र लेकर करें। आदेश की प्रति पंचायत सचिव को आदेश के अनुपालन हेतु भेजे।



9.

मिस केश 02/2011 के वादी मनोज कुमार अपील संख्या 50/2011 के वादी अनील कुमार अनल एवं हमजा अली आवेदन देन के बाद किसी तिथि को उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान भी ये वादीगण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना दावा को संचालित नहीं किए और अपने दावों के सम्पुष्टि में कागजात एवं अपना-अपना मूल प्रमाण-पत्र दाखिल नहीं किए। अतः इन सभी आवेदनों को खारिज किया जाता है।

प्रमाणिकरण शुल्क

17 = 20
तुलन विपक
07.02.12

COMPIRED BY
07.02.12
Companying Clerk

सदस्य

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय


प्राधिकार, मधेपुरा।
Cerrified to be a true
Head Clerk
U/S 75 Act, 1of 1872



Am-6

CA/TC+LPA

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.9065 of 2012



1. Manoj Kumar S/O Shri Satto Yadav R/O Village- Rahika Tola, Ward No. 2, Post Office- Jorgama, P.S.- Murliganj, District- Madhepura

..... Petitioner/s

Versus .

1. The State Of Bihar
2. The Principal Secretary Human Resources Development Department, Govt. Of Bihar, Patna
3. The Director Primary Education, Human Resources Development Department, Govt. Of Bihar, Patna
4. The District Magistrate, Madhepura
5. The District Education Officer, Madhepura
6. The Block Education Extension Officer, Kumarkhand Block, Madhepura
7. The Mukhiya, Puraini Gram Panchayat, Kumarkhand Block, Madhepura
8. The Panchayat Secretary Null Puraini Gram Panchayat, Block- Kumarkhand, District- Madhepura
9. The District Teacher'S Appointment Appellate Tribunal, Madhepura
10. Gunjan Kumari D/O Shri Shyam Kishore Yadav R/O Village- Sarhad, P.O.- Puraini, Block- Kumarkhand, District- Madhepura

..... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s Mr. Anant Kumar
For the Respondent/s Mr. Tej Bahadur Singh Aag7

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JAYANANDAN SINGH
ORAL ORDER

2 09-05-2012 From the order of the Appellate Authority it appears that it has come to a finding that proper notices were not issued to the candidates having higher percentage of marks and higher in merit. Hence, it has cancelled the appointment of some candidates and has directed for appointment of some of the appellants before it who were having higher marks.

If a proper notice was not issued by the Employment Agency then the entire selection has to be held as vitiated. In the

circumstances the only direction the Appellate Authority could issue to the Employment Agency was to hold a fresh selection by giving proper notice to all the candidates included in the counselling list so that other candidates who may be more higher in the list may also be considered.

The appeal of the petitioner has been rejected by the Appellate Authority on the ground that he had not prosecuted in the appeal before it.

This Court disposes of this writ application with a modification in the order of the Appellate Authority to the extent that the Employment Agency shall issue notice to all the candidates included in the counselling list and merit list and shall make fresh selection on the vacancies available. In the process, the Employment Agency shall be at liberty to consider the case of the petitioner also even if his appeal stands dismissed for default by the Appellate Authority and also the appellants before it.

Arvind/-

(Jayanandan Singh, J)

AM-7

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Letters Patent Appeal No.1285 of 2014

In

Civil Writ Jurisdiction Case No. 9065 of 2012

With

Interlocutory Application No.7062 of 2014

And

Interlocutory Application No. 9341 of 2014

In

Letters Patent Appeal No.1285 of 2014




Gunjan Kumari d/o Sri Shyam Kishore Yadav, resident of village - Sarhd,
P.O. Puraini, Block Kumar Khand, District - Madhepura

.... Respondent- Appellant/s

Versus

1. The State of Bihar.
2. The Principal Secretary, Human Resources Development Department,
Govt. of Bihar, Patna.
3. The Director Primary Education, Human Resources Development
Department, Govt. of Bihar, Patna.
4. The District Magistrate, Madhepura.
5. The District Education Officer, Madhepura.
6. The Block Education Extension Officer, Kumarkhand Block,
Madhepura.
7. The Mukhiya, Puraini Gram Panchayat, Kumarkhand Block,
Madhepura.
8. The Panchayat Secretary, Puraini gram Panchyat, Block Kumarkhand,
District-Madhepura.
9. The District Teacher's Appointment Appellate Tribunal, Madhepura.
.... Respondents-Respondent/s
10. Manoj Kumar, son of Sri Satto Yadav, resident of village Rahika Tola,
Ward No.12, P.O. Jorgama, P.s. Murliganj, District-Madhepura.
... .. Petitioner-Respondent.



Appearance :

For the Appellant/s : Mr. Rajendra Prasad Singh, Senior Advocate
Mr. Navjot Yesu, Advocate

For the Respondent-State : Mr. Sunil Kumar, A.C. to A.A.G.-6

An-2

For the respondent no.10 : Mr. Pranav Kumar, Advocate

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE

And

HONOURABLE MR. JUSTICE I. A. ANSARI

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)



2015

Interlocutory Application No.7062 of 2014

This application under Section 5 of the Limitation Act is filed with a prayer to condone the delay of 80 days in preferring the Letters Patent Appeal against the order dated 09.05.2012 passed by the learned Single Judge in CWJC No.9065 of 2012. In the application, it is stated that the delay occurred on account of correspondences between the appellant and his counsel and gathering the records.

No counter affidavit is filed by the contesting respondent opposing the application.

We are satisfied with the reasons assigned for the belated filing of the Letters Patent Appeal.

The interlocutory application is, accordingly, ordered and the delay is condoned.

Letters Patent Appeal No.1285 of 2014

This appeal under Letters Patent is filed against the order dated 09.05.2012 passed by the learned Single Judge in CWJC No.9065 of 2012. Respondent No.10 in the writ petition


CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
12/01/15
Section Officer
Copy/Fax Department
Patna High Court

is the appellant.

The 10th respondent herein filed the writ petition challenging the order dated 31.01.2012 passed by the District Teachers Employment Appellate Tribunal, Madhepura-the 9th respondent herein (for short, 'the Tribunal') and the writ petition was disposed of by granting relief.

The facts in brief are as under:

The steps were initiated for appointment of teachers in the school at Purani Gram Panchayat of Madhepura District-the 7th respondent herein. The appellant, the 10th respondent and several others submitted applications. The appellant was appointed as teacher through order dated 30.12.2010. Some other teachers were also appointed. A batch of appeals had been preferred before the Tribunal. The appeal preferred by the 10th respondent was numbered as Miscellaneous Appeal No.02 of 2011. Through a common order dated 31.01.2012, the Tribunal has set aside the appointment of various teachers on the ground that the meritorious candidates were not served with notice properly. So far as Miscellaneous Appeal No.02 of 2011 filed by the 10th respondent is concerned, it was dismissed on the ground that he did not pursue the matter ever since it was filed. The 10th respondent challenged the order of the Tribunal insofar as it






concerns Miscellaneous Appeal No.02 of 2011. The learned Single Judge disposed of the writ petition holding that the case of the 10th respondent for selection and appointment shall also be considered after notice to all the candidates, implying thereby that the appointment of the appellant herein is vitiated. Hence, this appeal.

Heard Mr. Navjot Yesu, learned counsel for the appellant and Mr. Pranav Kumar, learned counsel for the 10th respondent.

It is no doubt true that in a batch of appeals presented before the Tribunal, the Tribunal recorded a finding to the effect that the selections were not done properly and meritorious candidates were not served with notice. However, the appeal preferred by the 10th respondent was dismissed for default. Even if this Court is satisfied that there existed sufficient cause for the 10th respondent in not pursuing the remedy, the maximum that could have been done is that the appeal could have been restored and the Tribunal would be required to hear the matter afresh and dispose it of. However, the learned Single Judge granted relief as that the appeal of the 10th respondent is allowed. We find it difficult to sustain the same.

We, therefore, allow this appeal and set aside the





order dated 09.05.2012 passed by the learned Single Judge in CWJC No.9065 of 2012. In its place, we grant the relief to the extent that the order dated 31.01.2012 passed by the Tribunal insofar it dismissed the Miscellaneous Appeal No.02 of 2011 is set aside and the said appeal is restored to its file. The Tribunal shall hear the matter afresh and pass order on merits within a period of two months from today. The appellant and the 10th respondent shall appear before the Tribunal on 20th of January 2015.

Interlocutory application, if any, shall stand disposed

of. There shall be no order as to costs.

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY

Sunil

Section Officer
Copy/Text Department
Patna High Court

U

sd
(L. Narasimha Reddy, CJ)

sd
(I. A. Ansari, J)

| | | | |
|---------------------|------------|------------------|------------|
| Date of Requisition | 13-01-2015 | Date of Delivery | 13-01-2015 |
| Number of Pages | 5 | Total Cost (Rs.) | 25/- |

CWJC. -1. -Am-8

सम्बन्ध , पीठासीन पदाधिकारी ,
विज्ञान शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार
मैसूर ।

अपील सं० 02/2011

मनोज कुमार ----- अपीलकर्ता

बनाम

पंचायत सचिव -पंचायत नियोजन इकाई ,पुरेनी,कुमारखण्ड

विषय :- अपीलकर्ता की ओर से अपील के आदेश की प्रार्थना
कासे आ में नीचे परिणत शब्दों को संशोधन करने हेतु
दरखास्त ।

श्रीमान्

1. सादर निवेदन है कि अपीलकर्ता की ओर से दिनांक 02-
02-2011 ई० के दायित्व आदेश में टंकन भूल की वजह से प्रार्थना कासे आ
की तीसरी पंक्ति में शब्द भेरा = कॉलेजियन = करफने के ठीक बाद
ओर शब्द की के ठीक पूर्व = ओर भेरा नियोजन पंचायत शिक्षक के पद
पर करने = शब्दों का टंकन नहीं हो सका जो सम्भाव्य टंकन भूल का
ही परिणामक है।

2- कि अपीलकर्ता ने जान बूझ कर कोई गलती नहीं की है बल्कि जो
भूल भी हुआ है वह टंकन भूल का ही दायित्वक है ।

3- कि अपीलकर्ता के आदेश की प्रार्थना कासे आ की तीसरी
पंक्ति में उपर उचित शब्दों के प्रयोग से माफ़ी की भूल प्रकृत में कोई
परिवर्तन नहीं होगा , क्योंकि प्रार्थना कासे आ में टंकन नहीं हुए उक्त

11/5/11

hence fit to be rejected on this score alone.²

3. That ~~under~~ what provision of law concerned with Teachers Appointment Appellate Authority, this amendment petition has been filed is not mentioned so far this respondent came to know, there is no provision of amendment in the Mysambali. Hence the same is fit to be rejected on this score also.³

4. That in the memo of appeal, appellants prayer is for arrangement of counselling of the appellant but by filing amendment, appellant prayed for his appointment.⁴ If the amendment will be allowed it with change the nature of the appeal.⁵

5. That Argument of parties is going on & on behalf of the party when the counsel for the respondent raised the substantial question of appointment thereafter appellant

filed this amendment petition. The law does not permit
any party to fulfill the locum.

6. That there being no writ in the amendment
petition and the same is fit to be rejected.

Under the facts and circumstances
of the case your honour may be
graciously pleased to reject the
amendment petition and for this
respondent shall ever pray.

Respondent

Through



Advocate.

Verification:-

I Gunjan Kumari appointed teacher do hereby

solemnly affirm and declare that the content
of above paras have been read over and expl-
ained to me are true and correct to the
best of my personal knowledge and belief.

Deponent

 2.5.15

Advocate^{PH}

Am-9

Before,

Honourable Member

Dist Teacher Appointment
Appellate Authority, Madhepura

Appeal no. 2/11

Kanoj Kumar _____ Appellant

V E R S U S

Panchayat Niyojan Unit _____ Respondent

The humble rejoinder petition on behalf
of respondent Gunjan Kumari to the
amendment petition of appellant dated
11.5.2015 Most respectfully sheweth:-

1st That the amendment petition dated 11.5.15 filed
by appellant is uncalled for and unwarranted and the
same is fit to be rejected.

2nd That the amendment petition dated 11.05.15 is
neither verified nor supported with an affidavit and



20-6-15
गोपबंद



उपरोक्त लागूवाली पर ध्यान देना
पर मैं पांदा हूँ कि अधीनस्थों
के दायरे कार्यभार के जिन
शिक्षकों के जोड़ने की प्रार्थना
की है इससे न तो अधीनस्थों
का खर्च बढ़ेगा न ही
उनकी माननीय कार्यभार सामर्थ्य
में निरुद्धि होगी। इनके ही-
कोती है। इनके न मान्यता
के अधीनस्थों के, जोड़ने
कार्यभार दिनांक 11.5.15 को
को ही रखा गया है। अधीनस्थों
के विज्ञान अधिकारियों को कार्यभार
में प्रस्तावित करी जाय करे।

20.6.15
वाचक

उपरोक्त की लागूवाली की 11.5.15
उपरोक्त के विज्ञान अधिकारियों
में उपरोक्त के कार्यभार
ने अधीनस्थों को दिया। अधीनस्थों
वाचक का कार्यभार पर ही
उपरोक्त के दिनांक 11.5.15 को
रखा गया है।

Seen DKV/15

Seen
20.7.15

प्रमाणिकरण शुल्क

तुलन लिपिक
अमरपुरा
23/6/15

Certified to be a true
Head Clerk
U/S 76 Act, 1 of 1872

COMPARED BY
Comparing Clerk

Application For Copy Rs. 4.50
Searching Fee.....
Copies Fee for Urgency.....
Folios.....
Other Fee if any.....

Only five Rupees only

Appeal No. 2/11

(4)

17.6.15. उद्योग पदा की हाजिरी दी गई है, उद्योग पदा के विद्वान अधिकारी गण को उपस्थित है। उद्योग पदा के विद्वान अधिकारी गण के अपने अपने कार्रवाई पत्र को दावा मात्र कुछ उद्योग कार्रवाई पत्र पर प्रकाश डालने हेतु एक दोरे काम की कोटा की गई। कार्य को संशोधन के विद्युत कर्तनी पत्र दावने हेतु दि. 18-6-15 को एक आदेश उपलब्ध किया जाता है।



[Handwritten signature]

18.6.15 उद्योग पदा के विद्वान अधिकारी उद्योग पदा की हाजिरी के साथ उपस्थित है। अधीकार के विद्वान अधिकारी कार्रवाई विद्युत प्रकाश डालने हेतु एक दोरे काम की कोटा है। अधीकार के अधिकार उद्योग आदेश के विद्वान अधिकारी या फिर उसे उद्योग दिवसे एक उद्योग के उद्योग उद्योग को काम दि. 17.6.15 को दावा करता है, अधीकार के उद्योग उद्योग अधिकारी को

[Handwritten signature]
P.V.

GOVT. OF BIHAR
STATION HOUSE & PROSECUTION DEPT.
DHENUPURA SCORE MAHDHUPURA

STAMP DUTY
0-00 0.00
JUDICIAL
12.6.2015

6 0422526

11.5.15
अभियोग



अभियोग अधिकारी (अभियोग) को
द्वारा अभियोग पत्र द्वारा
अभियोग करने में एक कोषिका
द्वारा तैयार किया गया है। पत्र
अभियोगी के संशोधन
आवेदन के साथ उक्त
सुनवाई कोषिका के साथ
दिए गए हैं। उक्त सुनवाई
द्वारा आवेदन का गणना
कम दि. 12-5-15 को
द्वारा कोषिका सुनवाई
के उक्त पत्र कोषिका के

12.5.15

अभियोगी को उक्त सुनवाई के
द्वारा कोषिका के संशोधन
आवेदन दि. 11.5.15 को प्रत्यक्ष
अभियोग किया गया है।
अभियोगी को कोषिका के
पर सुनवाई के एक कोषिका
कोषिका कोषिका / संशोधन
आवेदन दि. 16.6.15 को
सुनवाई के कोषिका के / अभियोग
कोषिका के

16.6.15

अभियोगी को उक्त सुनवाई के
आवेदन पर अभियोगी के
द्वारा कोषिका के कोषिका के
विशेष कोषिका के कोषिका के
अभियोगी कोषिका के कोषिका के
दि. 17.6.15 कोषिका के कोषिका के

17.4.15 को करने का काम के पत्राचार है लार्ज
 17.4.15 को करने का काम के पत्राचार है लार्ज
 को करने का काम के पत्राचार है लार्ज



एकीकरण के उच्च पदा के विद्वान
 अधिकारी का काम दिनांक 18-4-15 को अंतिम रूप से
 कार्य करने का निर्देश देना
 जाता है यदि शिवाजी शिवाजी
 कार्य का निष्पादन किया जाये,

18.4.15 उच्च पदा की शिवाजी की P.O.
 कार्य है। उच्च पदा के विद्वान
 अधिकारी का काम दिनांक 18-4-15 को अंतिम रूप से
 कार्य करने का निर्देश देना
 जाता है यदि शिवाजी शिवाजी
 कार्य का निष्पादन किया जाये,

21-4-15 उच्च पदा का काम दिनांक 21-4-15 को अंतिम रूप से
 कार्य करने का निर्देश देना
 जाता है यदि शिवाजी शिवाजी
 कार्य का निष्पादन किया जाये,

7169 86287
 0000 JUDICIAL
 00000005 19.6.2015
 37450 BIHAR
 INDIA
 COURT FEE
 Authorization No. 2037

23-1-15
लागू

मिशन (रिजर्व) का मतलब है जहाँ
उस आरक्षण के लाभों में शामिल
होने के लिए जो भी इच्छुक
हो वह लिखित में आवेदन करता
होना होता है। अंतरण के माध्यम
उस सीट को आविष्कार नहीं
जाती है कि वे लोग बनाए
के साथ व्यापारिक में दि
17-2-15 को क्या उपस्थित
है क्योंकि माननीय उच्च
न्यायालय का आदेश 22-2-15
को 22-2-15 को 22-2-15 को
आप के आदेश की अनुपालन
आज ही कर रहे।



17-2-15 दि 17-2-15 को मंत्रालय की
18-2-15 अलका-के काम आज मंत्र-
द्वारा विभागीय-की नोटिस
28-1-15 को मंत्रालय है पाठ
उसके कि कोई भी आज हाजिर है
है और न के साथ व्यापारिक
है न्यायालय को इससे क्या करना
जाना है जबकि माननीय उच्च
न्यायालय ने इसे 22-2-15 को
निलंबित करने का आदेश दिया
है। न्यायालय पुनः विचार-परिष्कार
पदार्थ मंत्रालय के माध्यम से वास्तविक
पर नोटिस निकाल कर दे लेंगे
उपरोक्त दि 24-2-15 को मंत्रालय
वास्तविक है। वास्तविक 24-2-15 को